

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प सहाडा

पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 176/2016 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट
अनवान

1. देवकिशन पिता डालचन्द सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मृतक जरिये कायम मुकाम:-
 - 1/1. गोपाललाल पिता देवकिशन सुथार निवासी सहाडा जिला भीलवाडा
 - 1/2. सुरेश पिता देवकिशन सुथार निवासी सहाडा जिला भीलवाडा
2. कंकु पुत्री डालचन्द सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लेहरी पिता मोहनलाल सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. बदामी पिता मोहनलाल सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. तुलसी बेवा मोहनलाल सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. शंकरलाल पिता श्रीराम जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. शंकरलाल पिता गणेश सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. रतनलाल पिता नानुराम सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. चांदी बेवा पृथ्वीराज सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
8. मुकेश पिता लेहरूलाल सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. बंशीलाल पिता गोपीलाल सुथार निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
10. नानुराम पिता अमरचन्द जाट निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-22.05.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम साहडा पटवार क्षेत्र सहाडा तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 1148 पर स्थित आराजी संख्या 468 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 469 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 536 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 3274 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 3275/1 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 4593 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 4594/2 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 4907/1 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 4906/1 रकबा 0.24 है0 कुल किता 09 रकबा 1.98 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होंने प्रार्थी देवकिशन सुथार की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपिटित धारा



151 जा0दी0 व संशोधित टाईटल दिनांक 12.03.2018 को पेश किया जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को दिलाई गई व उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। बाद बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपिटित धारा 151 जा0दी0 व संशोधित टाईटल स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के अधिवक्ता उपस्थित। जिनके द्वारा प्रार्थना-पत्र पर आपत्तिया व जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11-128 एल आर एक्ट खारिज करने बाबत् निवेदन किया। चूंकि प्रार्थीगण उक्त वर्णित आरजियात के खातेदार काश्तकार है एवं प्रार्थीगण अपनी कृषिजोत की पत्थरगढी कराने का अधिकार रखते है अतः विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के आपत्ति एवं जवाब प्रार्थना पत्र को अस्विकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 04 लगायत 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना-पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम साहड़ा पटवार क्षेत्र सहाड़ा तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 1148 पर स्थित आराजी संख्या 468 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 469 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 536 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 3274 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 3275/1 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 4593 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 4594/2 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 4907/1 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 4906/1 रकबा 0.24 है0 कुल किता 09 रकबा 1.98 है0 भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700/- (सात सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700/- सात सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प सहाड़ा में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोट)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)